तार : 'फूडकॉर्प'
Gram : 'FOODCORP'
फैक्स नं. : एचएफसीआई एनडी
०६६१११२३४१३२४१
००६१११२३४१३१०३
Fax No. : HFCI ND
00911123413241
00911123413103

भारतीय खाद्य निगम
FOOD CORPORATION OF INDIA

मुख्यालय
नई दिल्ली
Head Quarters
New Delhi

१६-२०, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली-११०००१, दूरभाष-२३४१३८७१-२३४१४८७२-२३४१४८८०
16-20, BARAKHAMBA LANE, NEW DELHI-110001, PHONE : 23413871-23414872-23414880

सं. आई.12/एफ ए पी/इंपलीमेंटेंशन/2013 दिनांक 18-12-2013

परिपत्र संख्या फैप/16/2013

विषयः फैप के माध्यम से पूर्व सदस्यों को अंतिम भुगतान देने और फैप के माध्यम से आंचलिक अंशदायी भविष्य निधि (सी पी एफ) खाते तैयार करने संबंधी।

आंचलिक कायालयों से, पूर्व-सदस्यों को सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान प्रदान करने के संबंध में पत्र प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में पूर्व सदस्यों को अंतिम भुगतान प्रदान करने के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश अपनाए जाएं।

(i) पूर्व-सदस्यों की देयताओं की अनुसूची तैयार की जाए और पूर्व-सदस्यों की देयताओं का तत्काल भुगतान करने के लिए कार्यवाई की जाए।

(ii) पूर्व-सदस्यों जिनका नाम पहले से पे-रोल पर है उनका बकाया सी.पी.एफ. नियमित सदस्य जो कार्यरत हैं, उनके साथ फैप पर अपलोड किया जाए।

(iii) पूर्व-सदस्य जिनका नाम फैप में उपलबध नहीं है क्योंकि इन कर्मचारियों की सी.पी.एफ. सदस्यता फैप लागू होने से पहले ही समाप्त हो गई थी, का सी.पी.एफ बकाया हस्तलिखित रूप में ही बरकरार रखा जाएगा और ऐसे मामलों में ऐसे कर्मचारियों की बकाया राशि फैप में नहीं डाली जाएगी। ऐसे कर्मचारियों का अंतिम भुगतान आंचलिक कार्यालयों द्वारा परिपत्र सं. 13/2013 में उल्लिखित अनुसार यूनिट द्वारा इनवाइस क्रिएट कर जी एल मॉड्यूल और इन पेयबल्स मॉड्यूल में अंतरण तैयार कर सीधे ओरेक्ल एप्स से किया जाएगा।

(iv) ऐसे पूर्व सदस्य के संबंध में अंतिम भुगतान सी.पी.एफ मॉड्यूल के माध्यम से मानक पद्धति के अनुसार जारी किया जायेगा जिनका नाम पे-रोल मॉड्यूल में उपलब्ध है।

(v) ऐसे किसी सदस्य को कोई सप्लीमेंट्री पेमेंट जारी किये जाने की स्थिति में जिनका अंतिम भुगतान पहले ही जारी किया जा चुका है, उसे सीपीएफ मॉड्यूल में दिए "CPF supplementary payment screen" के माध्यम से जारी किया जा सकता है। देय राशि की गणना मैनुअली की जानी है। चूंकि सी.पी.एफ. मॉड्यूल उन सदस्यों के संबंध में जिनको अंतिम भुगतान पहले ही किया जा चुका है, के लिए कोई प्रोसेसिंग नहीं करता है। जैसे ही इस स्क्रीन पर राशि डाली जाएगी सी.पी.एफ. मॉड्यूल कर्मचारी की शेष राशि में वृद्धि कर देगा और यह "सी.पी.एफ. समायोजन रिपोर्ट" में दर्शायेगा और "मास्टर ओपनिंग/क्लोजिंग बैलेंस रिपोर्ट" के समायोजन कॉलम में दर्शायी जाएगी। प्रदत्त राशि को "सीपीएफ मंजूरी की सूची " में और "मास्टर ओपनिंग/क्लोजिंग बैलैंस रिपोर्ट" के कटौती वाले कालम में भी दर्शाएगा ।

2. सी.पी.एफ. प्रभाग का आंचलिक वार्षिक लेखा खाता फैप के माध्यम से तैयार किया जायेगा। सी.पी.एफ. प्रभाग के आंचलिक वार्षिक लेखा खाते तैयार करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

(i) मुख्यालय के आंचलिक ट्रस्टी लेखा खाते का आरंभिक शेष "आंचलिक स्थानांतरण रिपोर्ट" में दर्शाए अनुसार दूसरे अंचल से/ में स्थानांतरित कर्मचारियों का निवल आरंभिक शेष तथा पूर्व-सदस्य की मैन्यूअली तैयार की गई देयताओं के आरंभिक शेष के साथ-साथ वर्ष के अंत में "मास्टर ओपनिंग रिपोर्ट" में दर्शाए गए सदस्यों की देयताओं (सी.सी., सी.एस., वी.पी.एस.) के आदि शेष के बराबर होना चाहिए।

(ii) यदि उपरोक्त लिखित आरंभिक शेषों और आंचलिक ट्रस्टी लेखा खाता में कोई अंतर पाया जाता है तो वह आंचलिक स्तर पर असंगत माना जाएगा जिसका समाधान आंचलिक कार्यालयों द्वारा किया जाएगा।

(iii) "अंचल स्थानांतरण रिपोर्ट" में दर्शाये गये शेष के अनुसार ऐसे कर्मचारियों जिन्होंने पैतृक अंचल बदला है के संबंध में स्थानांतरण शेष के बारे में आंचलिक कार्यालयों के बीच आई यू टी ए का आदान-प्रदान किया जाएगा। मुख्यालय द्वारा आंचलिक ट्रस्टियों को क्रेडिटिंग/डेबिटिंग करके ऐसे अंचल स्थानांतरणों के लिए मुख्यालय के सी.पी.एफ. खातों में हिसाब दर्ज किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि जब तक नए आंचलिक कार्यालय से फार्म-13 तथा आई यू टी ए प्राप्त नहीं हो जाता तब तक अंचल स्थानांतरण स्क्रीन के माध्यम से नए सी.पी.एफ./ई.पी.एस. नंबर प्रदान नहीं किए जाएं।

(iv) "अंचल स्थानांतरण रिपोर्ट" में दर्शाए गए कर्मचारी जो अंचल से / में स्थानांतरित हुए हैं के वार्षिक अंशदान को 'मास्टर ओपनिंग क्लोसिंग बैलेंस रिपोर्ट" में दर्शायी गई वार्षिक अंशदान जमा तथा अग्रिम का रिफंड घटाने पर वह आंचलिक कार्यालयों द्वारा मुख्यालय से आदान-प्रदान किए गए आई.ओ. सी.पी.एफ. से मेल खाना चाहिए।

(v) यदि किसी प्रकार का मैन्युअल समायोजन किया जाता है तो उसे पे-रोल यूजर रेस्पांसिबिलिटी में ओरेक्ल एप्स में उपलब्ध "एफ.सी.आई. पी.एफ. एडजेस्टमेंट रिपोर्ट" की सहायता से ठीक प्रकार से सत्यापित किया जाना चाहिए और यह "मास्टर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस रिपोर्ट" से भी मेल खाना चाहिए। आदर्शतः इसका समायोजन का कुल प्रभाव ज़ीरो होगा। यदि असंगत शेष में किसी प्रकार का कोई समायोजन किया जाता है तो वह मैन्युअली तैयार गैर-समाधान वाले शेष/पूर्व सदस्यों की देयता सारणी में दर्शाया जाना चाहिए।

(vi) "मास्टर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस रिपोर्ट" में दर्शायी गई कटौतियां का मुख्यालय के साथ सी.पी.एफ. अग्रिम, अंतिम भुगतान, अंतिम भुगतान के लिए आई आ सी पी एफ के आदान-प्रदान से मिलान होना चाहिए।

(vii) "मास्टर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस रिपोर्ट" के अनुसार सदस्यों के शेष पर ब्याज को आंचलिक ट्रस्ट के आय व्यय खाते में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। "मास्टर ओपनिंग क्लोसिंग बैलेंस रिपोर्ट" में दर्शाए गए अधिशेष, पूर्व सदस्यों की मैन्युअली तैयार देयताएं और असंगत शेष, सदस्यों की कुल देयताओं एवं आंचलिक ट्रस्टी लेखा खाते के अधिशेष में प्रदशित किया जाना चाहिए।

3. सी.पी.एफ. प्रभाग में फैप के माध्यम से आंचलिक लेखा खाते तैयार करने के लिए उपरोक्त प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।

(आर.आर. अग्रवाल)

महाप्रबंधक (एफ.ए.पी.)